

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10

TEN
RUPEES

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL

REVENUE DEPARTMENT
OF UTTARAKHAND UTTARAKHAND

07/04/2002

प्रक्रम 26

14AA 137590

(नियम 4 के दावेदारी)

जासायण राम पुत्र श्री गुरुसाहित्राम आयु ५७ वर्ष जी ग्राम बैशाली
गोलचीरा का निवासी है और उपजोना ५५ गंगोलीहाट (उत्तराखण्ड)
appeared before me on १७ अप्रैल २०१२ से अधिकारी है सरपानी ०८ संघरण करता है।
I am A.M./H.M. in court
mpus/mc office Pithoragarh
/She identified by जापव पत्र प्रक्रम २६ मेरे वार्षिक तथा सही व सत्य है।
I vocate Pithoragarh
open and affirmed the contention
he affidavit which explained to
1/her/them.

१७ अप्रैल २०१२ पत्र प्रक्रम २६ मेरे वार्षिक तथा सही व सत्य है।

जापव पत्र की साथ संलग्न है।

१७ अप्रैल २०१२

Verified/Attested

J. S. Mahara

Advocate

Notary Public
Langolihat, Distt. Pithoragarh (U.K.)

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



४५ गोलीहाट (कुन्डलाई)
 (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

निर्वाचन क्षेत्र से

आमिसाक्षी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उमरुद्दीप
 वर्ष जो यह केशला घोल भारत या भारत का/की निवासी हूँ और उपरोक्त
 विधिनियम से अभियोगी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन
 करता हूँ/करती हूँ -

1. मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। **लाभू नहीं**
 (यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) **लाभू नहीं**
 - (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं **लाभू नहीं**
 - (ii) पुलिस थाना (थाने) **लाभू नहीं**, जिला (जिले) **लाभू नहीं**, राज्य **लाभू नहीं**
 - (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है **लाभू नहीं**
 - (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई **लाभू नहीं**
 - (v) तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किये गए थे **लाभू नहीं**
 - (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं **लाभू नहीं**
2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।
 (यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :
 - (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं **लाभू नहीं**
 - (ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है **लाभू नहीं**
 - (iii) पुलिस थाना (थाने) **लाभू नहीं**, जिला (जिले) **लाभू नहीं**, राज्य **लाभू नहीं**
 - (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है **लाभू नहीं**
 - (v) तारीख (तारीखों) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे **लाभू नहीं**
 - (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं **लाभू नहीं**

स्थान : **गोलीहाट**
 तारीख : **०९/०१/२०१२**

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन



ज्ञानवृत्त विवरण में ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई इच्छिक क्रिया नहीं है।

स्थान पर आज तारीख 09/01/2012 को

near Shri Smt. Nayana Ami
earlier before me on
~A.M / P.M. in court
us/me office Pithoragarh
re identified by me
cate Pithoragarh
in and affirmed the contention
affidavit which explained to
ver/them. टिप्पणी : इस प्ररूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

Verified/Attested

J. S. Mahara 09/01/2012
Advocate
Notary Public
Gangolihat, Distt. Pithoragarh (U.K.)